उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-112/2015/4220/92-1-2015-37(अधि0)/2015,
लखनऊ: दिनांक: 18 सितम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में सिविल अपील सं0-2608/2011 यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27-4-2012 तथा इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-8/4/1/2002टीसी-1-का-2/2015, दिनांक 21-8-2015 के अनुपालन में कार्यालय-ज्ञाप सं0-109/2015/3931/92-1-2015-58(अधि0)/2015, दिनांक 09-9-2015 द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पद से अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के पद पर पदावनत किये गये श्री उमा शंकर को परिमण्डल-फैजाबाद में रिक्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के पद पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री उमा शंकर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-112 /2015/4220(1)/92-1-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6- संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in